



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1532]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 20, 2018/चैत्र 30, 1940

No. 1532]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 20, 2018/CHAITRA 30, 1940

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2018

का.आ. 1686. (अ).—केन्द्रीय सरकार, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, अधिनियम, 1993 (1994 का 6) की धारा (19) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री रेवती रामचन्द्रन को 17 अप्रैल, 2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा.सं. 11-4/2017-अकादमी]

एम. एल. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2018

S.O. 1686(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (19) of the Kalakshetra Foundation Act, 1993 (6 of 1994), the Central Government hereby appoints Ms. Revathi Ramachandran as the Director of Kalakshetra Foundation, Chennai, on contract basis for a period of three years with effect from the 17<sup>th</sup> day of April, 2018.

[F. No. 11-4/2017-Akad.]

M.L. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

2305GI/2018